हरियाणा सरकार

श्री बनारसी दास गुप्त

उप मुख्य मंत्री, हरियाणा

का

भाषण

जो उन्होंने

हरियाणा विधान सभा में वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय दिया ।

चण्डीगढ़,
14 मार्च, 1990

विषय सूची

	पृष्ठ
आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90	2—3
संशोधित वार्षिक योजना 1989-90	3—4
वार्षिक योजना 1990-91	4—5
20-सूत्रीय कार्यक्रम	5—6
सिंचाई	6—7
सतलुज यमुना सम्पर्क नहर	7—8
बाढ़ नियंत्रण	8
बिजली	8
जन स्वास्थ्य	9
कृषि	11
सहकारिता	11
वन	12
पशुपालन	12
मत्स्य पालन	13
खाद्य तथा आपूर्ति	13
उद्योग	14—15
श्रम तथा रोजगार	15—16
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	16
तकनीकी शिक्षा	17
औद्योगिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा	17

NIEPA DC
D05190

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No....D-5190
Date........30/4/90

		पृष्ठ
परिवहन	..	18—19
सड़कें तथा पुल	..	19—20
पर्यटन	..	20
स्वास्थ्य सेवाए	..	20—21
शिक्षा	..	21—23
खेल-कूद	..	23
समाज कल्याण	..	23—25
विशेष संघटक योजना	..	25
मेवात विकास बोर्ड	..	25
मैचिंग ग्रांट योजना	..	26
व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियायतें	..	27
केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	..	27
संसाधन संग्रह	..	28—29
नौवां वित्त आयोग	..	29—30
संशोधित अनुमान 1989-90	..	30—32
बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1990-91	..	32—36
सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं	..	36—39

श्री बनारसी दास गुप्त, उप मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा 14 मार्च, 1990 को राज्य विधान सभा में वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय भाषण ।

माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमान्य साथियो,

मैं इस सदन के सामने लगातार तीसरे वर्ष इन बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुये स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ।

आज मैं इस चालू वर्ष के दौरान हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उपलब्धियों व कमियों तथा आने वाले वर्ष के लिये निर्धारित हमारे उद्देश्यों और कार्य योजना का स्वरूप प्रस्तुत करूंगा।

सबसे पहले, मैं केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर राजनैतिक ढांचे में हुये ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र करना चाहूंगा। पूरी तरह से सूझ-बूझ रखने वाले हमारे देश के मतदाताओं ने देश के भाग्य की बाग-डोर कांग्रेस (आई) के हाथों से लेकर हमारे नये प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के परिपक्व नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को सौंप दी है। इस सदन के सभी सदस्यों तथा हरियाणा के जन-साधारण के लिये यह बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि भारत के लोगों द्वारा दिये गये इसी जनादेश के मुताबिक इस सदन के भूतपूर्व नेता तथा हमारे राज्य के मुख्य-मन्त्री चौधरी देवी लाल भारत के उप प्रधान मन्त्री के रूप में शोभायमान हैं। मैं उनकी राष्ट्र सेवा, विशेषतः किसानों और गरीबों की सेवा में महान सफलता के लिये मंगल कामना करता हूं। मैं, हमारे नये मुख्य मन्त्री, श्री ओम प्रकाश चौटाला का भी स्वागत करता हूं जो अपनी राजनैतिक परिपक्वता, संगठनात्मक योग्यता और हरियाणा के विकास के बारे उद्विग्नता के लिये भली-भान्ति जाने जाते हैं। मैं जो कार्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं उस पर उनके नेतृत्व में नई सरकार की सोच की एक छाप है और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90

"हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90", दस्तावेज जो माननीय सदस्यों को पहले ही दिया जा चुका है, गत वर्ष के दौरान की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 1988-89 के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तुरन्त अनुमानों के अनुसार राज्य की आय स्थिर कीमतों (1980-81) के अनुसार वर्ष 1988-89 में 4,845 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान यह 3,971 करोड़ रुपये थी। इस तरह वर्ष के दौरान राज्य की आय में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों के अनुसार राज्य की आय वर्ष 1987-88 में 6,577 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 8,279 करोड़ रुपये हुई है जिसमें 25.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार विश्लेषण से प्रतीत होता है कि वर्ष 1988-89 के दौरान प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के अंशदान में क्रमशः 39.4 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि वर्ष 1980-81 की कीमतों को आधार माना जाए तो वर्ष 1988-89 में प्रति व्यक्ति आय 3,086 रुपये होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1987-88 में यह 2,586 रुपये थी। इस तरह प्रति व्यक्ति आय में भी 19.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान कीमतों के आधार पर वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति आय 4,278 रुपये से बढ़ कर वर्ष 1988-89 में 5,274 रुपये हो गई है। भारी बाढ़ से सम्पत्ति व फसलों को हुए नुकसान तथा वितरण प्रणाली के अस्त-व्यस्त होने के बावजूद हमने हरियाणा में कीमतें राष्ट्रीय औसत से नहीं बढ़ने दीं। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) मार्च, 1988 में 753 से बढ़ कर मार्च, 1989 में 818 हो गया और इसमें 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1989 में बढ़ कर 863 तक हो गया जबकि हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1972-73 = 100) मार्च, 1988 तथा मार्च, 1989 के बीच 313 से बढ़ कर 333 तक पहुंचा और इसमें 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1989-90 के

बजट अनुमानों के आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से 131 करोड़ रुपये का पूंजी निर्माण हुआ जबकि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार का अतिरिक्त अंशदाव 316 करोड़ रुपये है।

संशोधित वार्षिक योजना 1989-90

चालू वर्ष, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 का अन्तिम वर्ष है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 2900 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसमें से लगभग 2567 करोड़ रुपये के खर्च की सम्भावना है। संसाधनों में कमी के मुख्य कारण यह हैं कि राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान देने व पड़ोसी राज्य पंजाब में होने वाली आतंक की घटनाओं के फलस्वरूप राज्य की कानून एवम् व्यवस्था मशीनरी को सुदृढ़ व सक्षम करने के फ़लस्वरूप राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ा हैं। इसके अलावा केन्द्र के स्तर पर आवश्यक वस्तुओं के आंकलित मूल्य निरन्तर बढ़ते रहने के कारण भी हमें अतिरिक्त वित्तीय भार सहना पड़ा है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि खर्च में कमी के बावजूद हमने कृषि, ग्रामीण विकास, विद्युत-उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य व जल आपूर्ति जैसे मुख्य क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्त कर लिया है।

मूलतः चालू वर्ष का योजना परिव्यय 676 करोड़ रुपये रखा गया था। इसके बाद कुछ ऐसे खर्चे करने पड़े जो पिछले बजट के बाद हुये और जिनकी वजह से साधनों में कमी होने पर योजना परिव्यय 596.69 करोड़ रुपये पर संशोधित किया गया। महंगाई भत्ते की दो किस्तें व अन्य सेवा सम्बन्धी लाभ देने से राज्य कोष पर लगभग 33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अलावा, लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि पुलिस व्यवस्था को सक्षम करने तथा 18 करोड़ रुपये की धन-राशि न्यायालयों के निर्णयों के

दृष्टिगत अध्यापकों को बकायाजात की अदायगी पर खर्च की गई। सतलुज यमुना नहर परियोजना से सम्बन्धित लगभग 37 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान चालू वर्ष में रखा गया था जबकि यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में ही दे देने के कारण चालू वर्ष के साधनों में कमी रही। तथापि संशोधित परिव्यय में विद्युत के लिये 148 करोड़ रुपये, सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिये 73.72 करोड़ रुपये, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिये 241.82 करोड़ रुपये, कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये 53.63 करोड़ रुपये तथा परिवहन एवम् संचार सेवाओं के लिये 33.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वार्षिक योजना 1990-91

पहली अप्रैल, 1990 से हम आठवीं पंच-वर्षीय योजना (1990-95) में प्रवेश करेंगे। इस योजना अवधि के दौरान अपनाई जाने वाली कार्य नीति और दृष्टिकोण को अभी कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राज्य की 1990-91 की वार्षिक परियोजना के लिये 700 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है जो कि चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय के मुकाबले लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के मुहिम को तेज करने के लिये कटि-बद्ध है और यही वजह है कि पूरी योजना परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के लिये निर्धारित किया गया है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते है कि ऐसा करके हमने अपनी राष्ट्रीय पार्टी, जनता दल के घोषणा-पत्र में किये गये वायदे को पूरा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हम अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्यो के बारे में सचेत है। हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि आम जन-साधारण को मूल सुविधायें जरूर मुहैया करवाई जानी चाहियें। इसी को मद्दे-नज़र रखते हुये हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है कि मास दिसम्बर, 1990 तक हरियाणा राज्य के हर गांव में नल द्वारा पेय जल सुविधा

उपलब्ध कराई जाये। मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि इस दिशा में कार्य पूरे जोर-शोर से आरम्भ भी किया जा चुका है।

हम सामाजिक सेवाओं और समाज शिक्षा स्कीमों को उच्च प्राथमिकता देते रहेंगे और इसी लिये सामाजिक तथा सामुदायिक क्षेत्र के अन्तर्गत 234 करोड़ 56 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है जो हमारी वार्षिक योजना का 33.51 प्रतिशत है। कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं, जिनमें सहकारिता भी शामिल है, के लिये 75.22 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिये 16.88 करोड़ रुपये, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिये 108.70 करोड़ रुपये, बिजली के लिये 182.00 करोड़ रुपये, उद्योग के लिये 20.00 करोड़ रुपये, परिवहन तथा संचार के लिये 40.10 करोड़ रुपये, विकेन्द्रीकृत योजना के लिये 16.00 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों के लिये 6.54 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिये 15.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। कृषि तथा उद्योग के लिये हम मूल जरूरियात का विकास करते रहेंगे। अब मैं वर्ष 1990-91 के दौरान किये जाने वाले विकास कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा।

20-सूत्रीय कार्यक्रम

संशोधित 20—सूत्रीय कार्यक्रम को पूरी योजना में समायोजित कर दिया गया है। ऐसा विकास की गति को तेज करने के लिये किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 56,323 परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 52,079 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है जिनमें अनुसूचित जातियों के 28,475 परिवार शामिल हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 36 लाख 16 हजार श्रमदिवसों के रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 21 लाख 24 हजार श्रम दिवसों का रोजगार पैदा किया गया है जिसमें से 13 लाख 23 हजार श्रमदिवसों का रोजगार अनुसूचित जातियों के परिवारों को दिया गया है। ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान 400 समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1990 तक 260 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है जिससे कुल 3 लाख 70 हजार लोगों को लाभ हुआ है जिसमें 91 हजार अनुसूचित जातियों के लोग शामिल हैं। सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख 49 हजार बच्चे लाभान्वित किये गये हैं और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख आपरेशनों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबिले जनवरी, 1990 तक 67,227 नस/नल बन्दी आपरेशन किये गये हैं। आवास क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 226 परिवारों को और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1990 तक 1025 अनुसूचित जातियों के परिवारों को आवास सुविधा दी गई है। गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 36,666 व्यक्तियों के लक्ष्य के मुकाबिले कुल 27,309 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। जनवरी, 1990 तक 14,220 पम्पिंग सैटों को बिजली के कनैक्शन दिये गये हैं और 43,456 उन्नत चूल्हे लगाये गये हैं। वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 1989–90 में 5 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य के मुकाबिले जनवरी, 1990 तक 4 करोड़ 32 लाख वृक्ष लगाये गये हैं। गैर परम्परागत ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 में 2,000 बायोगैस संयंत्र लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 1349 बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं। वार्षिक योजना 1990–91 में 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों पर इसी प्रकार बल दिया जाता रहेगा।

सिंचाई

कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार एक अच्छी सिंचाई व्यवस्था है और इसी तथ्य के दृष्टिगत राज्य सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई व्यवस्था में और अधिक विस्तार सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के पूरा होने पर निर्भर करता है। इस बात को मद्देनजर

रखते हुये राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है कि यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र चालू की जाये। काफी हद तक कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका नहर के चालू करने में अत्यन्त महत्त्व है। हम इन भागों की विशेष रूप से "मानीटरिंग" कर रहे हैं। कार्य का जायजा लेने के लिये हाल ही में जल संसाधन मन्त्रालय में कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुई हैं। चलू वर्ष के दौरान हम ने पूरा प्रयत्न किया है कि पानी को खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में होने वाली जल हानि को कम किया जा सके और हम अपने दुर्लभ जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग कर सकें। विश्व-बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान लगभग 70 लाख वर्ग फुट नहरों व रजबाहों को पक्का किया गया है। इसके साथ ही अब हमारे राज्य में 48 करोड़ 40 लाख वर्ग फुट नहरों तथा रजबाहों का ऐरिया पक्का हो चुका है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में 661 किलोमीटर लम्बे रजबाहों व नालों के पक्का होने की आशा है जिससे राज्य में पक्के नालों व रजबाहों की कुल लम्बाई 18 हजार 750 किलोमीटर हो जायेगी। सिंचाई-नहरों के अन्तिम छोरों पर स्थित किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया है। आगामी वर्ष के लिये 99 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि की योजनागत परिव्यय में व्यवस्था रखी गई है।

सतलुज यमुना लिंक नहर

निस्सन्देह, सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना हरियाणा के लिये विशेष महत्त्व रखती है। पंजाब के हिस्से में कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मूल अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर जहां 160 करोड़ रुपये का खर्चा होना था वहां अब मौजूदा अनुमानों के अनुसार 430 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इस परियोजना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है और इस वर्ष में भारत सरकार ने अतौर हरियाणा के हिस्से के पंजाब सरकार को 31.77 करोड़ रुपये की राशि दी है। आगामी वर्ष के लिये इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि

केन्द्र में सरकार बदलने से इस परियोजना के पूर्ण होने की गति में तेजी आएगी। हमने भारत सरकार से यह भी पुर-जोर मांग की है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के हिस्से में नहर बनाने पर जो खर्च किया है भारत सरकार उस खर्च की भी प्रतिपूर्ति करे।

बाढ़ नियंत्रण

चालू वर्ष के दौरान, बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये कुछ बाढ़ नियन्त्रण एवम् जल निकास कार्य किये गये हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि अगले साल मौनसून के आने से पहले ही कुछ और कार्य पूरा हो जाये। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिये 9 करोड़ 50 लाख रुपये के पूंजीगत परिव्यय की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

बिजली

राज्य के कृषि एवम् औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बिजली के महत्व के दृष्टिगत हमारी सरकार इसे उच्च प्राथमिकता देती रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने हेतु पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं। फलस्वरूप, जहां वर्ष 1988 89 में 1 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करवाई गई वहां मौजूदा साल में 2 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध करवाई गई है। आने वाले समय में इस स्थिति में और अधिक सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 में 210 मैगावाट क्षमता का अतिरिक्त संयन्त्र पानीपत में लगाने हेतु कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। हम भारत सरकार से इस बात के लिये निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 840 मैगावाट वाली यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करे। उपलब्ध बिजली का पूरी तरह प्रयोग करने के लिये प्रेषण तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिये 182 करोड़ रुपये के परिव्यय की प्रस्तावना की गई है।

जन स्वास्थ्य

हमारे राज्य ने मार्च, 1989 के अन्त तक 5,155 समस्याग्रस्त गांवों तथा 300 गैर-समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने में विशेष प्रगति की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 320 समस्याग्रस्त गांवों और 50 गैर-समस्याग्रस्त गांवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस पर 33 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ 12 लाख रुपये शामिल हैं। हमारी सरकार ने मास दिसम्बर, 1990 तक सभी गांवों को, जिसमें 211 समस्याग्रस्त और 709 गैर समस्याग्रस्त गांव हैं, यह सुविधा देने की योजना बनाई है। इस स्कीम को पूरा करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 28 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्चा प्रस्तावित है। हमने सभी 81 नगरों को जल सप्लाई तथा 37 शहरों को न्यूनतम मल-निकास सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में जल-सप्लाई तथा मल निकास व्यवस्था में सुधार भी किया जायेगा। हरियाणा देश भर में पहला राज्य होगा जहां सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि

हमारी 78 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और हमारी कुल आय में कृषि का अंशदान लगभग 40 प्रतिशत है। हमारी सरकार, कृषि उत्पादन विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। वर्ष 1988-89 में खाद्यान्नों और तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 94.83 लाख टन और 4.81 लाख टन हुआ जोकि विर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। भारी बाढ़ के बावजूद, गन्ने तथा कपास का उत्पादन क्रमशः 6.58 लाख टन (गुड़) और 8.45 लाख गांठें हुआ। इस वर्ष मानसून-अवधि के दौरान वर्षा न होने से हमारी बारानी फसलों, विशेषतया बाजरा की फसल, को अत्यधिक हानि पहुंची है जिसके परिणाम-स्वरूप खरीफ उत्पादन 27.70 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबिले 22.26 लाख टन होने का अनुमान हैं। गन्ने और कपास का लक्ष्य क्रमशः 7.00 लाख टन (गुड़) और 9.50 लाख गांठें निर्धारित किया गया है। मौजूदा

रबी फसल अच्छी होने की सम्भावना है और हमें आशा है कि रबी खाद्यान्न उत्पादन का 71.40 लाख टन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। इस प्रकार कुल खाद्यान्न उत्पादन 93.16 लाख टन होने की आशा है। वर्ष 1990-91 के लिये, खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 100.00 लाख टन निर्धारित किया गया है। गन्ना, कपस और तिलहनों के लिये लक्ष्य क्रमशः 8.50 लाख टन (गुड़), 9.80 लाख गांठे और 4.85 लाख टन निर्धारित किया गया है। सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रमाणित गेहूं-बीज और घासपातनाशियों के लिये आर्थिक छूट पर आपूर्ति की सुविधा समूचे राज्य में दी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों को 1.81 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज बांटे गये तथा आगामी वर्ष के दौरान 2.03 लाख क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य है। इस वर्ष के दौरान रासायनिक खादों की खपत 5.80 लाख टन होने की सम्भावना है और अगले वर्ष के लिये 6.45 लाख टन की खपत का लक्ष्य नियत किया गया है।

राज्य सरकार ने कृषि सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों विशेषतया बागबानी को महत्व देने का निर्णय लिया है। सरकार ने बागबानी का एक अलग निदेशालय स्थापित किया है। आशा है कि यह निदेशालय आगामी वित्त वर्ष में प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगा। सरकार, किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और कृषि-आधारित उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य में मशरूम, नीबू आदि, अंगूर और रेशम उत्पादन पर बल दे रही है। राज्य सरकार ने विशेषकर दिल्ली महानगर के आस-पास के जिलों में फलों तथा सब्जियों के विकास को तेज करने के लिये राज्य में एकीकृत बागबानी और पशु उत्पाद विकास परियोजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस परियोजना को लागू करने के लिये राज्य में एक प्राधिकरण भी स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 1990-91 के दौरान बागबानी निदेशालय की स्थापना के लिये 90 लाख

रुपये की और बागवानी तथा पशु उद्योग विकास परियोजना के लिये 80 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था प्रस्तावित की है।

सहकारिता

सहकारी संस्थाओं ने विविध कार्यों द्वारा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वर्ष, कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिए मिनी बैंक के जरिए 3.15 करोड़ रुपये के कर्जे वितरित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और अगले वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ 3.62 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन कर्जे दिए जाएंगे। हैफेड ने वर्ष 1988-89 के दौरान 2 लाख 42 हजार टन उर्वरकों का विपणन किया तथा चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 2 लाख 75 हजार टन है। कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जाटूसाना में एक "बार्ले माल्ट प्लांट" चालू किया गया है। एन० सी० डी० सी०-4 परियोजना के अन्तर्गत अनेक कृषि आधारित यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य की सातों चीनी मिलों में क्षमता का 104.50 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ जो कि बहुत ही अच्छा है। शाहाबाद तथा सोनीपत की चीनी-मिलों ने देश के निम्न वसूली क्षेत्र में क्रमश पहला तथा तीसरा स्थान प्राप्त करके राज्य को श्रेय प्रदान किया है। हरियाणा सरकार की गन्ना मूल्य नीति ने पूरे देश को एक मार्ग निर्देश दिया है क्योंकि हरियाणा में किसानों को गन्ने की सबसे अधिक कीमत दी जाती है। अगले वर्ष कैथल, भूना और महम में तीन और चीनी मिल चालू होने की सम्भावना है। वर्ष 1990-91 के दौरान सहकारिताओं के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, हमारी सहकारी ऋण संस्थाओं ने कर्जा माफी स्कीम को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय भी प्राप्त किया है। हरको बैंक तथा हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक ने 4 लाख 3 हजार व्यक्तियों को 14 करोड़ 28 लाख रुपये की कर्जा-राहत दी है।

वन

हमारी सरकार ने पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने तथा वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिये वन स्रोतों के विकास पर भी विशेष बल दिया है। आरम्भ में वन आधीन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 3.8 प्रतिशत था जो हमारे निरन्तर प्रयास से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान, 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से 50,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक वानिकी परियोजना तथा विकेन्द्रीकृत जन-नर्सरी कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। यह देखते हुये कि किसान को अपने वन-उत्पाद का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार ने किसानों से लाभदायक मूल्य पर वन उत्पाद खरीदने के लिये एक वन निगम का गठन किया है। विभाग को वर्ष 1990-91 के दौरान केटों, सेबों के बकसों, फर्नीचर और लकड़ी के कोयले जैसे वाणिज्यिक कार्यों से 6.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। हम किसानों के खेतों के साथ-साथ लगे वृक्षों से होने वाली आय का आधा हिस्सा उन्हें देने के लिये आगे भी वचनबद्ध हैं।

पशुपालन

कृषि अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पशु पालन एवम् डेरी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे मजबूत करने के लिये हमारे प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे। इस वर्ष के अन्त तक, हरियाणा में 495 पशु अस्पताल, 478 पशु-डिस्पैंसरियां, 60 क्षेत्रीय कृत्रिम वीर्यसेचन केन्द्र और 777 पशुपाल केन्द्रों की सुविधायें उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, 8 जिलों में एकीकृत पशु विकास परियोजना भी चालू है। अगले वर्ष के दौरान एक पालीक्लिनिक, 40 पशु डिस्पैंसरियां खोलने और 30 विद्यमान पशु डिस्पैंसरियों का दर्जा बढ़ा कर पशु-अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव है। विभाग के निरन्तर प्रयत्नों से वर्ष 1989-90 के अन्त तक 31.25 लाख टन दूध, 16.5 करोड़ अण्डे तथा 14 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हो जाने का अनुमान है। आगामी वर्ष में इन कार्यों के लिये तथा इनकी और भी तरक्की के लिये 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए चालू वर्ष की योजना में 1 करोड़ 65 लख रुपये के खर्चे का प्रावधान था। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जींद, भिवानी और हिसार जिलों में मछली पालन विकास एजेंसियां स्थापित की जा चुकी हैं। नये बनाए गए जिलों में भी मछली पालन विकास एजेंसियां स्थापित करके मछली पालन को और बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष भिवानी जिले में सरकारी मछली बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम बनाया गया है कि अगले वर्ष 600 लाख मछली बीज का स्टाक तैयार हो और 22,500 टन मछली का उत्पादन हो जिससे अनुसूचित जातियों के 410 परिवारों की सहायता होगी। इस सम्बन्ध में सभी योजनाओं को कार्य-रूप देने के लिए अगले साल की योजना में 2 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

खाद्य तथा आपूर्ति

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, केन्द्रीय पूल में देने के लिए खाद्यान्न खरीदने और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विभाग ने दिसम्बर, 1989 तक केन्द्रीय पूल के लिए 6.81 लाख टन चावल खरीदा जबकि पहले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.71 लाख टन चावल खरीदा गया था दिसम्बर, 1989 तक 21.00 लाख टन धान प्राप्त हुआ है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 16.66 लाख टन धान की आवक थी। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया गया है। राज्य में उचित मूल्य की कुल 6520 दुकानें हैं जिनमें 4494 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2026 शहरी क्षेत्रों में हैं, इन के माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं सही मात्रा में वितरित की जाती हैं। अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई और मूल्यों पर कारगर नियन्त्रण रखने के लिए राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर खाद्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

उद्योग

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी हमारा कार्य बड़ा सराहनीय रहा है। राज्य में लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 89,330 तक जा पहुंची है। बड़े एवम् मध्य दर्जे के उद्योगों की संख्या भी 403 हो चुकी है। संयुक्त तथा सहायता प्राप्त क्षेत्रों में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम की मार्फत अनेक परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। जिला गुड़गांव में मानेसर में 85 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत की "वायरल-वैक्सीन" बनाने की एक परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस प्रकार जिला फरीदाबाद के गांव असावती में 18 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाने वाली भारतीय तेल निगम का "ल्यूब ब्लैण्डिंग प्लाण्ट", मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में 5 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से मिनी सीमेन्ट प्लाण्ट और जिला गुड़गांव के मानेसर में ही 9 करोड़ रुपये की लागत से आई० बी० पी० एल० के विस्फोटक यूनिट स्थापित करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

हरियाणा में उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिये उद्योग निदेशालय को तीन भागों अर्थात् बड़े तथा मध्यम उद्योग निदेशालय, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग निदेशालय तथा खनिज एवम् भू-विज्ञान निदेशालय में बांट दिया गया है। हमारी सरकार हरियाणा में औद्योगिक वातावरण विकसित करने को उच्च प्राथमिकता देती है और नये औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिये हम अनेक प्रोत्साहन दे रहे हैं। घाटा-ग्रस्त उद्योगों की समस्याओं से निपटने के लिये एक विशेष सैल स्थापित किया गया है जिसके द्वारा बिक्री कर में छूट तथा बिजली शुल्क की छूट, अधिक विद्युत सप्लाई और बकाया जात की वसूली के स्थगन जैसे अनेक राहत उपायों का प्रावधान किया गया है।

ऐसा देखने में आया कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों को विभिन्न महकमों से सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिये हम ने राज्य के सभी जिलों में "एक खिड़की सेवा" आरम्भ की है और इस कार्य की देख-रेख उच्चाधिकारियों द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों

को पर्याप्त मात्रा में शक्तियां दी गई हैं ताकि उद्योगों से सम्बन्धित आर्थिक सहायता, आर्थिक छूट, प्लाटों का अबंटन, कर्जों की स्वीकृति और इकाइयों के पंजीकरण सम्बन्धी सभी मामले ये अपने स्तर पर ही निपटा सकें।

हमारा यह भी प्रयास होगा कि खनिज तथा भू-विज्ञान विभाग के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खनिजों और धातुओं के बारे में अच्छी तरह से सर्वेक्षण किये जायें जिसके फलस्वरूप हम इन प्राकृतिक साधनों का भी पूरा शोषण कर सकें।

वर्ष 1988-89 में खनिजों से 6 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक आय होने की सम्भावना है। अगले वित्त वर्ष में हम उद्योगों को बढ़ावा देने बारे अपने प्रयास जारी रखेंगे और इसी उद्देश्य से 20 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है।

श्रम तथा रोजगार

हम राज्य में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने और उसे प्रोत्साहन देने के लिये निरन्तर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने पहली जून 1989 से न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी नियमों में संशोधन करके औद्योगिक क्षेत्र में अकुशल कामगरों के लिये 800 रुपये प्रति-मास अथवा 30 रुपये 80 पैसे दैनिक और कृषि क्षेत्र के कामगरों के लिये 31 रुपये 80 पैसे दैनिक मजदूरी निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी की ये दरें उत्तरी क्षेत्र मे कदाचित सबसे अधिक हैं। श्रम कल्याण उपायों के अन्तर्गत 8 श्रम कल्याण केन्द्र और 11 शिशु गृह स्थापित किये गये हैं। अगले वर्ष भी इन कार्यों हेतु 6 लाख 87 हजार रुपये की राशि खर्च की जानी प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार को बेरोजगार युवकों को भत्ता देने की स्कीम चलाने का भी श्रेय प्राप्त है और इस स्कीम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 30 हजार बेरोजगार युवकों को यह भत्ता सहायता दी गई है। आगामी वर्ष में इसके लिये 5 करोड़ 90 लाख रुपये की धनराशि का खर्च प्रस्तावित किया गया है। पहली जून, 1989 से इस स्कीम के अन्तर्गत दसवीं, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास तथा स्नातक/स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को क्रमशः 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये प्रतिमास

की दर से भत्ता दिया जा रहा है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में सही उपयोग करने हेतु एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की गई है । विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ संवेदाशील तकनीकी लागू करने के लिये हिसार में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रयोग केन्द्र की स्थापना की गई है। इस सम्बन्ध में विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी विभाग के नियन्त्रण में "हरसैक" नामक एक स्वायत्त समिती स्थापित की गई है । स्वायत्त समिति ने पांच जिलों में बंजर भूमि की छांट का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा गुड़गांव जिले का सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। एक और परियोजना शुरू की गई है जिसके तहत भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग की मदद से 22 लाख रुपये के खर्च से भिवानी जिले में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान सूखे के प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा । वर्ष 1989-90 के दौरान 22.86 लाख रुपये की लागत से पलवल, गुड़गांव और थानेसर के तीन खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम लागू किया गया है तथा हमारी योजना है कि अगले वर्ष हम दो और खण्डों में भी इस कार्यक्रम को शुरू करें । इस पर लगभग 65 लाख रुपये के खर्चे का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा ग्राम स्कीम के तहत हिसार जिले के संधलाना गांव को ऊर्जा ग्राम इसी वर्ष में बनाया गया है तथा अगले वर्ष भी एक और गांव को ऊर्जा ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा। वर्ष 1989-90 में ही 25 सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने का हमारा कार्यक्रम है । अगले साल एक और "बायो मास गैसी-फायर/स्टर्लिंग इंजन प्रणाली प्रदर्शन प्रयोग" नामक परियोजना पर 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रबन्ध प्रणाली को अच्छा बनाने के लिये एक उद्यमी विकास सैल की कुरुक्षेत्र में स्थापना की गई है। वर्ष 1990-91 में भी विभिन्न ऊर्जा संरक्षण स्कीमों को पूरे जोर शोर के साथ क्रियान्वित किया जायेगा जिसके लिये 2 करोड़ 5 लाख रुपये के खर्चे की व्यवस्था की गई है।

तकनीकी शिक्षा

उन्नत क्षेत्रों में इंजीनियरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व मानव संसाधनों के विकास हेतु राज्य की नीति में तकनीकी शिक्षा का विशेष स्थान है। उट्टावर, आदमपुर, सिरसा तथा मुरथल में चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। नारनौल में एक नई बहुतकनीकी संस्था खोली जा रही है। सोनीपत में रसायन इंजीनियरिंग तथा मुरथल में कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

फरीदाबाद में महिलाओं के लिए एक बहुतकनीकी संस्था तथा हिसार में इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित करने का कार्य आगामी वर्ष में आरम्भ किया जाएगा। झज्जर में इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग तथा मुरथल में रसायन इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम भी आगामी वर्ष के दौरान आरम्भ किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपये का योजनागत परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

औद्योगिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा

राज्य सरकार तकनीकी कुशलता और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को पूरी प्राथमिकता देती है। चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करनाल तथा सोनीपत में प्लास्टिक संसाधन आप्रेटर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विशेष संघटक योजना स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यमुनानगर तथा गुड़गांव में केवल अनुसूचित जातियों के लिए दो नये यूनिट भी खोले गए हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत राज्य में 5,129 सीटें हैं जिन में से चालू वर्ष के दौरान 4,177 शिक्षु लगे हुए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में एक व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आगामी वर्ष में महिलाओं के लिए दो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। [illegible] वर्ष 1990-91 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये का परिव्यय [illegible] किया गया है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन का समस्त देश की परिवहन सेवाओं में अग्रणी स्थान रहा है। भारत सरकार के योजना आयोग ने, विभाग द्वारा प्राप्त परिचालन परिमाप के आधार पर हरियाणा राज्य परिवहन को देश की सर्वोत्तम सेवाओं में माना है और इसे देश में "आदर्श परिवहन उपक्रम" का दर्जा दिया है। हमारी बसें इस समय 2,000 से अधिक मार्गों पर चलती हैं और इनमें प्रतिदिन लगभग 15 लाख यात्री 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। महत्त्वपूर्ण स्थानों को चण्डीगढ़ और दिल्ली से मिलाने के लिये वातानुकूलित, डीलक्स सेवायें तथा अर्ध-डीलक्स सेवायें आरम्भ की जा चुकी हैं। हमने गांवों तक पहुंचने वाली सड़कों पर मिनी बस सेवाओं की व्यवस्था करके अद्वितीय कदम उठाया है। चालू वर्ष के दौरान 16 करोड़ रुपये के खर्चे से 387 पुरानी बसों को बदलने के अतिरिक्त 200 नई बसें खरीदी जा रही हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 18 करोड़ रुपये के परिव्यय से 313 पुरानी बसों को बदलने के अतिरिक्त 128 और नई बसें लेने का प्रस्ताव है। दिसम्बर, 1990 के अन्त तक हमारा सभी गांवों तक बस सेवायें प्रदान करने का कार्यक्रम है। महत्त्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक बस अड्डे बनाये जा रहे हैं। अच्छी किस्म की खाद्य सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में खान-पान सेवायें हरियाणा पर्यटन निगम को सौंपी जा रही हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन, जनता के विभिन्न वर्गों को मुफ्त यात्रा सुविधा दे रही है। इनमें सांसद, विधायक, भूतपूर्व विधायक, स्वतन्त्रता सेनानी तथा उनकी विधवायें, नेत्रहीन व्यक्ति, मान्यता-प्राप्त संवाददाता, हरियाणा सरकार के डैस्क अधिकारी तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवायें तथा उनके उत्तराधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निरीक्षक स्तर तक पुलिस अमले, मान्यता-प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्रों को 60 किलोमीटर की दूरी तक, हरियाणा खेल-समारोहों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, चण्डीगढ़ तथा पंचकूला में रहने वाले कर्मचारियों को घर से कार्यालय और वापसी, 10 से अधिक फलदार पौधों को ले जाने

वाले किसानों व कर्मचारियों को रियायती दरों पर मासिक पास की सुविधायें दी गई हैं। वर्ष 1987 में सत्ता में आने के बाद इस राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों तथा निगमों में साक्षात्कार हेतु आने जाने वाले सभी बेरोजगार व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की है। हाल ही में इसी तरह की रियायती सुविधायें संयुक्त पंजाब के समय के भूतपूर्व सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद् के सदस्यों को भी हरियाणा में यात्रा के लिये दी गई हैं। मैंने जिन रियायतों का अभी जिक्र किया है उसकी वजह से राज-कोष पर लगभग 14 करोड़ रुपये वार्षिक का आर्थिक बोझ पड़ता है।

सड़कें तथा पुल

आर्थिक विकास के लिए सड़कें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। चालू वर्ष के दौरान 270 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बनाने की आशा है जबकि आगामी वर्ष में 220 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कें बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 1989-90 में 290 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को सुदृढ़ तथा चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुदृढ़ व चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है। बल्लबगढ़ से हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-मार्गी बनाने का काम एशियन विकास बैंक की सहायता से जनवरी, 1991 से शुरू किये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त मुरथल से करनाल तक शेरशाह सूरी मार्ग को चार-मार्गी बनाने का काम भी 1990-91 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्य की विभिन्न सड़कों पर 16 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। यह सब काम करने के लिए वर्ष 1990-91 में 20 करोड़ रुपये के खर्चे की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ग्राम सम्पर्क सड़कों के रख-रखाव के साथ-साथ 14 करोड़ 62 लाख रुपये के खर्चे से 450 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाने का प्रस्ताव है।

रेल यात्रा के लिए बहतर और नई सुविधाएं जुटाने हेतु हम ने रेल विभाग से जाखल से हनुमानगढ़ तक, रोहतक से हिसार तक और

जगाधरी से चण्डीगढ़ तक नई बड़ी लाईन बिछाने तथा भिवानी-बठिन्डा अनुभाग को बड़ी लाईन में बदलने का अनुरोध किया है।

पर्यटन

हरियाणा की पर्यटक सुविधाएं, देश भर में एक आदर्श बन गई हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान उदार केन्द्रीय सहायता से पिंजौर में स्टाफ-क्वार्टर, उचाना और काला-अम्ब में कैफेटेरिया, अबूबशहर में रेस्तरां और आसाखेड़ा में स्टाफ-क्वार्टर पूरे हो चुके हैं। फरीदाबाद में एक गालफ कोर्स और दमदमा में एक नया पर्यटक केन्द्र चालू किए जा चुके हैं। सोहना में रेस्तरां और बल्लबगढ़ में मोटल, रेस्तरां तथा बार, केन्द्रीय सहायता से पूरे होने वाले हैं। महम में "चौबीसी का चबूतरा", ऐतिहासिक स्थल पर एक रेस्तरां बन चुका है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने बल्लबगढ़, पानीपत, सिरसा, हिसार और पिपली के बस अड्डों पर खान-पान की व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी सम्भाली हुई है। फरवरी, 1990 में सूरज-कुण्ड में एक क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया जहां हमारे देश के शिल्पकारों द्वारा विविध शिल्प-कलाओं तथा पुरातन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। यह मेला देखने के लिए दूर दराज से असंख्य लोग आए। इस विभाग की अगले वर्ष की विकास स्कीमों में गुड़गांव जिला में दमदमा के समीप एक मनोरंजन पार्क की स्थापना और सिरसा जिला में आसाखेड़ा में एक संगीतमय फव्वारा लगाना शामिल है। वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में हरियाणा में पर्यटन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य सेवायें

हमारी सरकार "2000 ईसवी तक सर्वसाधारण के लिए स्वास्थ्य सुविधा" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य-सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान 161 उप केन्द्र, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है और वर्ष 1990-91 के दौरान वर्तमान आधारिक संरचना में सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो चल दंत-चिकित्सा यूनिट शामिल

कर दिये जायेंगे। वर्ष 1990-91 के लिए 15 करोड़ 10 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मास जनवरी, 1990 तक 67,227 नसबन्दी अथवा नसबन्दी आप्रेशन और राष्ट्रीय नेत्र-हीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत 22,829 आंखों के आप्रेशन किए गए हैं।

वर्ष 1989-90 के दौरान 5,514 और बीमाकृत औद्योगिक कामगारों को राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है तथा अगले वर्ष 2,550 और कामगारों का बीमा किया जायेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 65 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

महाराज अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अग्रोहा में स्थापित किया गया है जिसके लिए 50 विद्यार्थियों का दाखिला भी किया गया है। मुझे अपने साथियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि योजना आयोग ने इस प्रोजैक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का निर्माण कार्य सरकारी निधि और जनता के आर्थिक सहयोग से आगामी वर्ष के दौरान वस्तुतः आरम्भ कर दिया जायेगा।

हम चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक में तकनीकी जन शक्ति और सुविधाएं बढ़ानेके लिए उत्सुक हैं। विकिरण चिकित्सा में एम० डी० व डिप्लोमा तथा आर्थोडान्टिक्स/प्रास्थोडान्टिक्स में एम० डी० जैसे नये पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गए हैं। दन्त स्वास्थ्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक में वर्तमान आधारिक संरचना और बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा

शिक्षा का विकास तथा निरक्षरता का उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जन-साधारण के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार हेतु अलग से एक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों की शिक्षा से सम्बन्धित

लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये गये हैं। लड़कियों की शिक्षा में हमारी उपलब्धि 90 प्रतिशत तक सीमित है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान 507 प्राइमरी और 328 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर क्रमश: मिडल व उच्च विद्यालय स्तर का बना दिया गया हैं। अगले वर्ष के दौरान 100 प्राइमरी, 50 मिडल तथा 25 उच्च विद्यालयों का अगले स्तर तक दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये चालू वर्ष के दौरान 100 और विद्यालय खोले जा रहे हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 4 करोड़ 88 लाख रुपये के विशेष अनुदान से चालू वर्ष के दौरान 488 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य चलाया जा रहा है। वर्ष 1989-90 के दौरान 1,497 अतिरिक्त विद्यालयों को "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। सरकार के विशेष प्रयास हैं कि अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे अधिक-से-अधिक संख्या में स्कूलों में आयें और शिक्षा ग्रहण करें। इन स्कीमों को अच्छी तरह चलाने के लिये इन बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री, फीस, वर्दी आदि के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। हमारी सरकार की एक और अनूठी योजना के तहत घुमन्तु कबीलों के बच्चों को स्कूलों में आकर्षित करने के लिये एक रुपया प्रतिदिन उपस्थिति की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। अगले वर्ष के दौरान इन घुमन्तु कबीलों के 22 हजार बच्चों तक यह लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है।

231 स्कूला तथा 117 महा विद्यालयों में 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है। गुड़गांव तथा सोनीपत में जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थाओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक नवोदय विद्यालय खोला जाना है। 9 जिलों के लिये नवोदय विद्यालयों को मन्जूर किया जा चुका है और शेष जिलों को चरणबद्ध रूप में इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

हम ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उत्सुक हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान तावडू में राजकीय

महाविद्यालय खोला गया है और अगले वर्ष राज्य में दो राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान तीन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षायें तथा चार महाविद्यालयों में नये विषय आरम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान तीन महाविद्यालयों में विज्ञान विषय और स्नातकोत्तर स्तर पर रोजगार-उन्मुखी कार्यक्रम तथा नये विषय आरम्भ करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 के दौरान एक ओपन यूनिवर्सिटी अथवा दूरस्थ शिक्षा यूनिट स्थापित करने तथा प्रयोगात्मक आधार पर कुछ महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों में बदलने का भी प्रस्ताव है। हमारे राज्य को सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने में उत्तर भारत का सर्व-प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त है। नये बने चार जिलों में उप मण्डलीय स्तर के पुस्तकालयों का दर्जा बढ़ा कर जिला पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव है।

खेल-कूद

युवावर्ग में अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता तथा नेतृत्व के गुण विकसित करने में खेलों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। हमने खेल-कूद-प्रतिभा को विकसित करने के लिये कुश्ती, जिमनास्टिक्स जैसे महत्त्वपूर्ण खेलों के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं। परिणामस्वरूप हमारे राज्य में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभरे हैं जिससे राज्य और देश को सम्मान मिला है। मास दिसम्बर, 1989 में पश्चिमी बंगाल में भुवनेश्वर में हुई राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में हमारी योग टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम राज्य के प्रत्येक जिले के खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधायें देने का प्रयास कर रहे हैं। कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिये, हमारे राज्य ने पहली बार 11 खलीफों को 400 रुपये मासिक की दर से मानदेय देने की प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त 1.90 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय से वर्ष 1990-91 के दौरान खेलकूद को और विकसित करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण

हमारे राज्य के वृद्ध नागरिकों को सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान

प्रदान करने के लिये हमारी सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम चलाई है वह अपने आप में बेजोड़ है और पूरे राष्ट्र भर में इस स्कीम की बदौलत हरियाणा को एक विशेष स्थान मिला है। इस वर्ष 7 लाख 77 हजार लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पहुंचा है जिस पर 104.43 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के तहत हमने 101 करोड़ 57 लाख रुपये का प्रावधान रखा है जिससे 8 लाख 48 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इस प्रकार पेंशन स्कीम के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, बे-सहारा महिलाओं और विधवाओं को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वह आगामी वर्ष में जारी रखा जायेगा। इस श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को मौजूदा साल में विशेष लाभ दिये गये हैं। जहां इन लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की पात्रता के लिये 50 रुपये मासिक आमदनी की सीमा थी उसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति-मास कर दिया गया है और पेंशन की दर 50 रुपये प्रति-मास से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति-मास कर दी गई है। उपेक्षित और अपचारी बच्चों के पुनर्वास के लिये बालक न्याय अधिनियम के तहत हर ज़िले में एक-एक अपचारी कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है। हमारे कल्याण निगमों और स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता से महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कीमें चलाई जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं को अमली-जामा पहनाने के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान 141 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य दलित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये अनेक कार्य किये जा रहे हैं जिनमें हरिजन बस्तियों का सुधार, आवास सहायता, पेयजल की सुविधा व हरिजन चौपाल आदि बनाने की स्कीमें वर्णनीय हैं। इन वर्गों के बच्चों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। उन उपायों को सुदृढ़ करने के लिये हमारी सरकार ने आठवीं श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये लेखन सामग्री अनुदान की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति

वर्ष और उच्च श्रेणियों के लिये 40 रुपये से 60 रुपये प्रति-वर्ष कर दी है। इसी प्रकार नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं जमातों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो वजीफा दिया जाता था उसकी राशि क्रमशः 40, 50 व 60 रुपये प्रति-मास से बढ़ाकर 80, 100 व 120 रुपये प्रति-मास कर दी गई है। अनुसूचित जातियों के लिये हमारी सरकार ने एक और नई स्कीम इस साल चालू की है जिसके तहत पहले दो बच्चों के जन्म के समय जच्चा को अच्छी खुराक व देख-भाल के लिये 300 रुपये की राशि दी जाती है। आगामी वर्ष में इस उद्देश्य के लिये 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने मास नवम्बर, 1989 तक 90 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी की सहायता से 7,348 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को मौजूदा साल में 40 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी दी गई है तथा अगले वर्ष 50 लाख रुपये बतौर हिस्सा पूंजी देने का प्रावधान रखा गया है।

विशेष संघटक योजना

हमारी सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विशेष महत्त्व देती है। चालू वर्ष में इस योजना के तहत योजना परिव्यय के 596.69 करोड़ रुपये में से 71.12 करोड़ रुपये का खर्चा निर्धारित किया है। मास जनवरी, 1990 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 28,475 परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगले वर्ष के 700 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना परिव्यय में से 81.74 करोड़ रुपये इस योजना हेतु खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

मेवात विकास बोर्ड

हमारी सरकार की नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर हम विशेष बल दें। इसी सम्बन्ध में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से अनेक विकास की स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। रोजका मेव में औद्योगिक कम्पलैक्स की जो रूप-रेखा उभरी है इससे उस क्षेत्र के बदलते स्वरूप की झलक मिलती है। मेवात विकास बोर्ड के जरिये विभिन्न विकास की स्कीमों पर जहां 2.25 करोड़ रुपये का खर्चा मौजूदा साल में किया गया है वहां अगले वर्ष के लिये हमने 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

मैचिंग ग्रांट योजना

हरियाणा राज्य मैचिंग ग्रांट स्कीम शुरू करने में अग्रणी रहा है । इसी स्कीम के माध्यम से हम अपने सभी विकास एवं जनहित कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहे है। लोगों ने इस स्कीम को बहुत पसंद किया है । इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च, 1989 तक 3938 विकास कार्यों के लिये राज्य के हिस्से के रूप में 8 करोड 3 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है । मैचिंग ग्रांट स्कीम के कार्यक्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है तथा इसे कार्यान्वित करने के लिय नीचे के स्तर पर पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं । महत्त्वपूर्ण विकास एवं जनहित कार्यों को सम्पन्न करने में इस स्कीम का भारी योगदान है तथा इसी के परिणामस्वरूप इस वर्ष में राज्य का अंशदान एक करोड़ तीस लाख रुपए से बढ़ा कर 5 करोड़ 80 लाख रुपय कर दिया गया है । महिला-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ष कन्या विद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु अपने अंशदान को जनता के अंशदान की राशि के बराबर से बढ़ाकर दो गुना कर देने का निर्णय किया है । हम आगामी वर्ष भी इस स्कीम को जारी रखेंगे जिसके लिय राज्य के अंशदान के रूप में एक करोड़ 45 लाख रुपय की राशि के प्रावधान की व्यवस्था की है ।

हमारी सरकार पंचायतो एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की इच्छुक है । इसी उद्देश्य से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने वाली देसी शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपये की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया । इसके दृष्टिगत हमने इस वर्ष 3 करोड रुपये की राशि पंचायतों, पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं को पहले ही दे दी है और पूरे वर्ष के लिये 5 करोड़ 39 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है । हमारी सरकार इस स्कीम को आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रखेगी जिसके लिये 5 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

व्यापारियों तथा उद्योग-पतियों को रियायतें

जहां आबकारी तथा कराधान विभाग ने चालू वर्ष में जनवरी, 1990 तक वसूलियों में पिछले वर्ष की आमदनी से 14.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, वहां हमने कर-प्रणाली में सुधार लाने तथा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को और रियायतें व सुविधाएं देने के लिये भी ठोस कदम उठाए हैं। हम व्यापारी-वर्ग की कार्य सम्बन्धी कठिनाइयां समझते हैं और उनको कुछ सीमा तक कम करने के लिये हमने 1-10-89 से संक्षिप्त कर निर्धारण के लिये आय-सीमा 3 00 लाख रुपय से बढ़ा कर 5 00 लाख रुपये कर दी है। इसी प्रकार लेखा-पुस्तकें न बनाने अथवा उन्हें व्यापार के स्थान पर न रखने के लिय जुर्माना 5,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया है। कर-राहत की दिशा में कम्बलों, खान्डसारी तथा बूरा पर से कर हटा दिये गये हैं और गेहूं-उत्पाद, डबलरोटी, बीजों तथा छोटी कारों पर करों की दरें कम कर दी गई हैं। सीमेन्ट को छोड़ अनुसूची "क" में वर्णित आरामदेह वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की नीति के अनुसार 33 नये उद्योगों को बिक्री कर से छूट अथवा स्थगन लाभ दिया गया है। कर की चोरी को रोकने के लिये मुख्यालय पर एक चौकसी विंग खोलने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मैंने वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में जिन विभिन्न योजनाओं का अभी जिक्र किया है उनमें 142 करोड़ 9। लाख रुपये की ऐसी स्कीमें भी शामिल हैं जो केन्द्र सरकार की सहायता से पूरी होंगी। चालू वर्ष के साथ ही सातवीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो जाएगी। परिणाम स्वरूप, अनेक केन्द्र चालित स्कीमों को चालू रखने के लिए इन्हें राज्य क्षेत्र को अन्तरित किये जाने की सम्भावना है जिससे गैर योजना खर्च में आर्थिक भार और भी बढ़ जाएगा। हम इस मामले में केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वे ऐसी स्कीमें राज्य क्षेत्र में अन्तरित करने के बदले हमें एकमुश्त आर्थिक सहायता दें।

संसाधन संग्रह

सरकार इस मूल सिद्धांत से अवगत है कि महत्त्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी विकास स्कीमों को कार्यरूप देने और लोगों को पर्याप्त सेवाएं एवं सुविधाएं जुटाने के लिये संसाधन-आधार सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार ने पहले एक संसाधन समिति गठित की थी जिसे अब "रिसोर्सिज एवं इकोनोमी कमेटी" का नाम दिया गया है। यह समिति ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां किफायत की जा सके तथा यह नए साधनों की तलाश करने में अपना बहुमूल्य परामर्श भी देगी। इसी प्रकार हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया है जो कार्य प्रणाली में सुधार, अनुशासन रखने और कर्मचारियों की कार्य-कुशलता में पर्याप्त सुधार लाने के लिये उपायों की सिफारिश करेगी। विभिन्न स्थानों पर बेकार पड़ी व प्रयोग में न लाई जाने वाली सरकारी जमीनों को आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया है जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आय भी हुई है। इसी प्रकार परित्यक्त सम्पत्तियों (Evacuee Properties) के कब्जों को नियमित करने से सरकार को लगातार आमदनी हो रही है। अचल सम्पत्ति के कम मूल्यांकन को रोकने के लिये किये गये उपायों के परिणामस्वरूप 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। लघु बचत स्कीम अभियान के अन्तर्गत जनता द्वारा अधिक से अधिक धन-राशि जमा करवाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे भी राज्य के आय साधनों में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार को वर्ष 1988-89 में लघु बचतों की वजह से भारत सरकार से 173 करोड़ 36 लाख रुपये की कर्ज सहायता मिली है और हमें इस वर्ष भी लगभग इतनी ही सहायता मिलने की आशा है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों तथा निगमों को परामर्श दिया गया है कि वे देय बकाया राशियों की वसूली करें और खर्च-प्रक्रिया को बेहतर बनाने के भरसक प्रयास करें ताकि फिजूल खर्च को रोका जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गैर-विकास खर्चों में अभी भी बचत करने की गुंजाइश है। हम फालतू खर्च को कम करने व खर्च मानकों की पूरी तरह छान-बीन करके विकास कार्यों के लिये धन बचाने के भरसक प्रयास जारी रखेंगे।

नौवां वित्त आयोग

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि नौवें वित्तायोग की सिफारिशें केन्द्र से राज्यों को निधियों के अन्तरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करती हैं। वित्तायोग द्वारा दी गई पहली रिपोर्ट में उसका फैसला हरियाणा जैसे समृद्ध एवं कुशल राजस्व प्रबन्ध राज्यों के लिये उत्साहवर्द्धक नहीं रहा क्योंकि आयोग की सिफारिशों का झुकाव घाटे वाले और पिछड़े राज्यों को सहायता देने की ओर अधिक रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपनी सिफारिशें करते समय वित्तायोग ने हरियाणा जैसे कुशल राजस्व प्रबन्ध और वित्तीय अनुशासन बनाये रखने जैसे विचारणीय विषयों को नज़र-अन्दाज़ करके अपने ही मापदण्डों की अवहेलना की है। आयोग द्वारा अपनाई गई इस एकतरफा प्रणाली के कारण न केवल विभाज्य करों में हमारे आनुपातिक हिस्से में कमी आई है बल्कि आयोग द्वारा घाटे को पूरा करने व सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये राज्यों के लिये प्रस्तावित 1,156 करोड़ रुपये की अनुदान राशि में से भी हमें कोई हिस्सा नहीं मिला। हमने विभिन्न मन्चों से आयोग के इस रवैये के विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। हमने वित्त आयोग के द्वारा विचारणीय विषयों पर भी आपत्ति जाहिर की थी और दूसरे राज्यों के साथ मिलकर अपनी सिफारिशें दी थीं। परन्तु आयोग द्वारा उन्हें ध्यान में न रखने से हमें निराशा हुई है।

यद्यपि यह खुशी की बात अवश्य है कि नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने हमारे राज्य के कुशल राजस्व प्रबन्ध की प्रशंसा करते हुये हमें दो विशेष अनुदान दिये हैं। इनमें एक अनुदान 20 करोड़ रुपये की राशि का है जो पुलिस सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिये दिया गया है और दूसरा 4 करोड़ 88 लाख रुपये का अनुदान प्राथमिक स्कूल भवन

बनाने के लिये दिय गया है। इन अनुदानों का सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। हमने कुछ और ऐसे मूल क्षेत्र चुने हैं जहां सेवाओं के स्तर को बढ़ाने वा आवश्यकता है और आयोग को दिये गये ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया है कि वह अपनी दूसरी रिपोर्ट में अगले 5 साला योजना के लिये दी गई हमारी 639 करोड़ 17 लाख रुपये की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। इसमें वर्ष 1990-91 के लिये 123 करोड़ 57 लाख रुपये के अनुदान की मांग भी शामिल है। वित्तायोग की दूसरी रिपोर्ट भी 12 मार्च 1990 को संसद के सामने पेश कर दी गई है। केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट को सिद्धान्त रूप में मन्जूर कर लिया है। जब तक इस रिपोर्ट का विस्तृत ब्योरा नहीं मिल जाता तब तक हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हरियाणा को इससे क्या लाभ होगा। तथापि मैं आशा करता हूँ कि हमारे राज्य को कुछ आर्थिक लाभ तो मिलना ही चाहिये।

संशोधित अनुमान 1989-90

वर्ष 1989-90 के संशोधित अनुमान, चालू वर्ष के लिये बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने के बाद के हालातों को ध्यान में रखते हुए, यह दर्शाते हैं कि रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार यह वित्त वर्ष बजट अनुमानों में दिखाये गये 36 करोड़ 24 लाख रुपये के घाटे के मुकाबले 19 करोड़ 33 लाख रुपये के घाटे में समाप्त होगा। ये आंकड़े हमारी सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेवारियों के होते हुए भी कुशल वित्त प्रबन्ध को बनाए रखने के इरादे दर्शाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान हमारी वित्त व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के दबाव पड़े हैं जिनके फलस्वरूप हमें अपनी कुछ प्राथमिकता वाली योजनाओं के परिव्यय में काट-छांट करनी पड़ी ताकि हमारे साधन परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप हो जायें। अतः अपने साधनों तथा योजना खर्च के मध्य तालमेल को ध्यान में रखते हुए हमने 676 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय को संशोधित करके योजना का आकार 596 करोड़ 69 लाख रुपये रखा है।

वर्ष 1989-90 के बजट अनुमानों में 19 करोड़ 78 लाख रुपये का प्रारम्भिक घाटा माना गया था लेकिन वास्तव में वर्ष 1989-90, रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 12 करोड़ 42 लाख रुपये के मुनाफे के साथ आरम्भ हुआ। इस मुनाफे में 31 मार्च, 1989 को राज्य द्वारा धारित 76 करोड़ 75 लाख रुपये के खजाना बिलों का समायोजित किया गया है। इससे जाहिर होता है कि पिछले वर्ष के दौरान राज्य का वित्तीय प्रबन्ध बहुत अच्छा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की अर्थ व्यवस्था पर कई कारणों से भारी दबाव पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों एवं पेन्शनभोगियों को जनवरी, 1989 तथा जुलाई, 1989 से देय दो मंहगाई भत्ते की किश्तें देने से राजकीय कोष पर 32 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। हमें, न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले अध्यापकों को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिये शिक्षा विभाग को 20 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि तथा कृषि विश्वविद्यालय को संशोधित वेतन-मानों के कारण बकाया देयत के लिये 2 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करनी पड़ी है। हमारी सरकार, अपने नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। हमने आतंकवादियों की गतिविधियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिये अपनी कानून तथा व्यवस्था मशीनरी को मजबूत करने के लिये 12 करोड़ 78 लाख रुपये अतिरिक्त रूप में खर्च किये हैं। ग्रामीण जनता को निरन्तर जल सप्लाई सुनिश्चित करने के विचार से, हमने ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के उचित रख रखाव के लिए 5 करोड़ 98 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि तथा पक्के नालों के रख-रखाव के लिये 1.00 करोड़ रुपये की राशि का खर्चा किया है। मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में भूमि अभिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे की अदायगी के लिये 6 करोड़ 80 लाख रुपये की

अतिरिक्त राशि और विकलांग तथा विधवाओं को बढ़ी हुई दरों पर पेन्शन देने के लिये एक करोड़ 77 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त रूप में खर्च करनी पड़ी है । हमने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अन्य सहायता-प्राप्त संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के विचार से उनको 3 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान की है । लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के उपलक्ष्य में चार नये जिले बनाये गए हैं जिससे राजकीय कोष पर एक करोड़ 62 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है । हमने गैर-विकास खर्चे को कम से कम स्तर पर रखने की कोशिश की है, किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि धन की कमी के कारण बिजली, सिंचाई और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न पड़े ।

हमने लघु बचत संग्रहण व इस प्रकार के अन्य साधनों से अधिक से अधिक धन जुटाने के लिये भरसक प्रयत्न किये हैं लेकिन यह ध्यान रखा है कि हमारे नागरिकों पर कोई अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े । सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त में कम-मूल्यांकन की प्रवृत्ति को घटाने या समाप्त करने के हमारे प्रयासों के परिणाम-स्वरूप हमें लगभग 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है ।

बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1990-91

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, इस सदन के सम्मुख वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं । निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1989-90 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य की वित्तीय स्थिति का लेखा

जाखा दिया गया है :—

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1988-89	लेखे 1988-89	बजट अनुमान 1989-90	संशोधित अनुमान 1989-90	बजट अनुमान 1990-91
1	2	3	4	5	6
I. अथ शेष					
(क) महालेखाकार के अनुसार	(—)29.75	(—)29.75	(—)4[illegible].02	(—)7[illegible].4	(—)103.99
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(—)7.51	(—)7.51	(—)19.78	(+)1[illegible].42*	(—)19.33
(ग) प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	[illegible].98	7.98
II. राजस्व लेखा					
प्राप्तियां	1458.60	1441.08	1665.52	1719.69	1894.14
खर्च	1512.76	1442.93	1623.35	1779.48	1915.98
अधिशेष (+) / घाटा (—)	(—)53.91	(—)1.85	(+)42.17	(—)59.99	(—)21.84
III. पूंजीगत खर्च	132.12	140.15	126.89	96.02	151.26
IV. सार्वजनिक ऋण					
लिया गया ऋण	409.65	444.93	610.28	440.39	553.27
भुगतान	216.67	257.80	416.51	238.87	304.92
निवल	(+)192.98	(+)187.13	(+)193.77	(+)201.52	(+)248.35
V. कर्जे और पेशगियां					
पेशगियां	188.28	170.93	241.80	199.31	217.61
वसूलियां	26.50	23.93	32.82	24.42	30.98
निवल	(—)161.78	(—)147.00	(—)208.98	(—)174.89	(—)186.63
VI. अन्तर्राज्यीय निपटान	—	—	—	—	—
VII. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—
VIII. आकस्मिकता निधि निवल	—	(—)0.59	—	—	—
IX. छोटी बचतें, भविष्य निधि आदि निवल	(+)86.74	(+)96.07	(+)53.27	(+)58.89	(+)68.07

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1988-89	लेखे 1988-89	बजट अनुमान 1989-90	संशोधित अनुमान 1989 90	बजट अनुमान 1990-91
1	2	3	4	5	6
X. जमा तथा पेशगियां— आरक्षित निधियां, निलम्बित तथा विविध निवल	(+)55.82	(—)36.70	(-)30.20	(+)32.74	(+)31.45
XI. प्रेषण (निवल)	—	—	—	—	—
XII. वर्ष का इति शेष					
(क) (i) महालेखाकार के अनुसार	(—)42.02	(—)72.24	(—)58.48	(—)103.99	(—)115.85
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(—)19.78	(+)12.42	(-)36.24	(—)19.33	(—)31.19
(ख) प्रतिभूतियों में निवेश	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च 1989 को बकाया 76.75 करोड़ रुपए के खजाना बिलों के समायोजन के पश्चात् :

इस विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार वर्ष 1990-91 के अन्त में 31 करोड़ 19 लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है जबकि वर्ष के आरम्भ में 19 करोड़ 33 लाख रुपये का घाटा सम्भावित है। वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में राज्य योजनागत परिव्यय के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के अतिरिक्त 142 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भी किया गया है। सिंचाई एवं बिजली क्षेत्रों के लिए 290 करोड़ 70 लाख रुपये का संयुक्त परिव्यय चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से 31.11 प्रतिशत अधिक है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तथा विकेन्द्रीकृत योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबिले क्रमश: 21.28 प्रतिशत तथा 220 प्रतिशत अधिक है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि हमने कृषि एवं उद्योग के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी है।

वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्व घाटे में, इस वर्ष के 59 करोड़ 99 लाख रुपये के संशोधित घाटे के मुकाबले 38 करोड़ 15 लाख रुपये की कमी होने की सम्भावना है। इससे यह संकेत मिलता है कि आय प्राप्तियों में निरन्तर वृद्धि आगे रहेगी तथा गैर-योजना एवं अनावश्यक खर्चों में कमी कर दी गई है। शुद्ध सार्वजनिक ऋण 248 करोड़ 35 लाख रुपये का उपलब्ध होगा। कर तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का जायज़ा अधिकतर पूर्व विकास दरों को ध्यान में रख कर लिया गया है और नौवें वित्तायोग की सिफ़ारिशों को कर राजस्व, ब्याज प्राप्तियों, जल प्रभार तथा परिवहन सेवाओं जैसी उन मदों के मामले में, जहां ऐसा करना उचित समझा गया, नज़रंदाज़ किया गया है। उदाहरणस्वरूप राज्य उत्पाद-शुल्क तथा स्टैम्प एवं पंजीकरण से प्राप्तियों में क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि की परिकल्पना की गई है। हमें पूर्ण आशा है कि कर चोरी निरोधक उपायों के लागू करने के फलस्वरूप राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर से और अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हमने भारत सरकार से भी पुरज़ोर अनुरोध किया है कि "कनसाईनमैंट टैक्स" को अति शीघ्र लगाया जाये क्योंकि इस साधन से राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की आय होने की सम्भावना है। गैर-योजना खर्च अनुमान तैयार करते समय आमतौर पर नौवें वित्तायोग के मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा गया है। राजस्व लेखे में गैर-योजना खर्च की वृद्धि को सामान्य स्तर पर ही रखा गया है। तथापि, वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाने वाली योजना स्कीमों के रख-रखाव के लिए 50 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष के दौरान स्वीकृत महंगाई भत्ते की किश्तों के लिए वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति

के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अगले वर्ष 36 करोड़ रुपये की सबसिडी दी जानी प्रस्तावित है। छोटे नालों को पक्का करने पर किसानों के हिस्से के खर्च को माफ करने के एवज में राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम को 21 करोड़ 93 लाख रुपये के अनुदान की, तथा सहकारिता विभाग को अल्पकालिक तथा मध्यकालिक कर्जों को माफ करने के एवज में 6 करोड़ 68 लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि बजट घाटे को न्यूनतम स्तर पर तथा सीमा के अन्दर ही रखा गया है। हमें 31 करोड़ 19 लाख रुपये के घाटे को, राजस्व करों की बेहतर वसूली में तथा अनावश्यक एवं गैर-योजना खर्चों में किफायत करके, पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें ताकि अच्छी फसलों से हुए अन्दरूनी साधनों में सम्भावित उछाल से हम अपने बजट घाटे को पूरा कर सकें। इसी लिए मैंने अगले वर्ष में कोई नये कर लगाने अथवा वर्तमान करों या उद्ग्रहणों की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है, क्योंकि मैं न तो राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ डालना चाहता हूं और न ही अपने राज्य के नागरिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डालना चाहता हूं॥ तथापि, राज्य सरकार को विकासशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन तथा विद्युत जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था में और अधिक कार्य-कुशलता लानी होगी।

विभिन्न विकासशील एवं कल्याणकारी योजनाओं के बनाने एवं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के योगदान की सराहना करती है। अपने कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। हम कर्मचारियों की आवासीय जरूरतों की पूर्ति में कठिनाइयों को महसूस करते हैं इसी के दृष्टिगत उनकी घर-बार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने भवन-निर्माण अग्रिम के लिए एक लाख रुपये या 35 महीनों के वेतन के बराबर राशि की

वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये या 60 महीनों का वेतन के बराबर राशि, जो भी कम हो, कर दिया है। इसी उद्देश्य से मकान की मुरम्मत अथवा विस्तार के लिये भी ऋण की शर्तों को बढ़ाकर क्रमशः 10 महीने के वेतन तथा 12 महीने के वेतन के बराबर कर दिया है। आवासीय प्लाट खरीदने के लिये वर्तमान सीमा को बढ़ाकर भवन निर्माण ऋण की देयता के 60 प्रतिशत के बराबर या एक लाख 10 हजार रुपये, जो भी कम हो, कर दिया गया है।

हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी, 1989 तथा जुलाई, 1989 से देय दो महंगाई भत्ते की किस्तें भी दे दी हैं जिससे राजकोष पर लगभग 32 करोड़ 58 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

हमारी सरकार अपने पेन्शन-भोगियों के कल्याण के प्रति भी जागरूक है तथा उन्हें भी पहले वर्णित दोनों किस्तें दे दी गई है। इसके अतिरिक्त उन पेंशन-भोगियों को जो 31-3-1979 तक सेवा निवृत्त हो गये हैं और जो 500 रुपये तक या इससे अधिक पेन्शन पा रहे हैं, उनको क्रमशः 50 रुपये और 100 रुपये का कम से कम अतिरिक्त लाभ दिया गया है। यही लाभ उन पेंशन भोगियों को भी दिया गया है जो 31-3-1985 से पहले सेवा-निवृत्त हुये हैं।

हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया गया। वेतनमानों में पाई गई विसंगतियों को दूर करने के लिये गठित आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और हम आशा करते है कि जल्दी ही आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया जायेगा। तथापि, इन्जीनियरों, डाक्टरों तथा पुलिस उपा-अधीक्षकों के वेतनमानों को पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

मुझे यह घोषणा करते हुये खुशी महसूस हो रही है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी सरकार ने भारत सरकार की पद्धति

पर उन कर्मचारियों को 27 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय किया है, जो किसी उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस स्कीम या अन्य बोनस या किसी अन्य अनुग्रह स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते। इससे सरकारी कोष पर लगभग 27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। परन्तु इसी वर्ष हमने पेन्शन भोगियों को लाभ व न्यायालयों के आदेशानुसार सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को देय वेतन के बकायों की अदायगी आदि की है। इससे सरकार की कठिन अर्थोपाय स्थिति पर और भी अधिक भार बढ़ा है। इसी कठिनाई की वजह से मजबूरन मुझे यह फैसला लेना पड़ा है कि पिछले वर्ष की तरह बोनस को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे कर्मचारी मेरी इस कठिनाई को समझेंगे और मुझे अपना पूर्ण सहयोग एवं योगदान देंगे।

हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों के अभाव में अपने ही वेतनमान में अटके रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक "समयबद्ध एडवांसमैन्ट स्कीम" शुरु करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 10 वर्ष की सेवा अवधि और 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर दी जायेगी। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि में कम से कम दो "एडवांसमैन्ट" का लाभ मिले। यह सुविधा "प्रोमोशनल वेतनमान" के रूप में उपलब्ध होगी। इससे राजकीय कोष पर चार से पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे जागरूक है, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी करती है कि वे राज्य के निर्माण के प्रयासों में अपना सर्वोत्तम योगदान दें। हरियाणा राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाना हम सभी के प्रयत्नों का लक्ष्य होना चाहिये। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य कुशलता हमारे संस्थानों, विभागों की कार्य प्रणाली एवं कर्मचारियों के आचरण का मापदण्ड होना चाहिये।

अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं कर्मचारियों की उस टीम के प्रति अपना आभार और धन्यवाद अवश्य व्यक्त करूंगा जिन्होंने इन बजट अनुमानों को सावधानी पूर्वक तैयार करने में कठिन परिश्रम किया है। महालेखाकार, हरियाणा ने इसमें विशेषतौर से हमारी सहायता की है। वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वास्तव में बजट अनुमानों को समय पर तैयार करने, संकलित तथा प्रस्तुत करने में कठिन परिश्रम किया है। संघ राज्य क्षेत्र के मुद्रणालय का तथा हरियाणा मुद्रणालय का इस कार्य के निपटान में सदैव की भान्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब मैं इन बजट अनुमानों को इस माननीय सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5190
Date 31/5/90

NIEPA DC
D05190

20782—F.D.—H.G.P., Chd.